न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 87/2022

अमरीक सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह जाति कम्बोज सिख उम्र 65 वर्ष निवासी 4 जी. के. एम. तहसील रायसिंहनगर

अपीलांट

बनाम

1 ग्राम पंचायत 6 जे. के. एम. तहसील रायसिंहनगर जरिये सरपंच
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर दिनांक 12.05.2022 को निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थित : 1. श्री बलकरणसिंह बराड़ अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री गुरजीतसिंह राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक : 30/01/2023

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट चक 4 जे. के. एम. का स्थायी निवासी है। अपीलांट पेशे से काश्तकार है। अपीलांट की कृषि भूमि चक 4 जे. के. एम. के खाता संख्या 4/4 के पत्थर नंबर 172/375 मु. पं. 38 के किला नंबर 1 ता. 12 में 3.0360 हैक्टेयर व अपीलांट के पुत्र हरजिन्द्र सिंह के नाम से खाता संख्या 47/46 मु. नं. 38 के किला नंबर 13 ता. 25 में 3.2890 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि स्थित है। मु. नं. 38 के उतरी दिशा में मु. नं. 25 स्थित है जिसके किला नंबर 1 ता. 21 तक सरकारी रास्ता चालू है। मु. नं. 25 के किला नंबर 21 और मु. नं. 38 के किला नंबर 01 के उतरी दिशा व मु. नं. 25 के किला नंबर के दक्षिण कॉर्नर में पक्की पुलिया बनी हुई है जो अपीलांट की कृषि भूमि के लिए बनी हुई है। ग्राम पचांयत सरपंच द्वार प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया गया कि मु. नं. 13 पत्थर संख्या 173/375 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता पर सरकार द्वारा एक पुलिया बनायी गयी है जिस पर अपीलांट ने एक खंभा गाढ़कर रास्ता को बंद कर दिया है जिससे चक 3 जे. के. एम. , 4 जे. के .एम. व 5 जे. के. एम. के काश्तकारों को परेशानी हो रही है, को खुलवाया जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता चालू करवाने का आदेश दिया गया जिस पर दिनांक 17.05.2022 को पटवारी हल्का द्वारा पुलिस पर गढ़े खंभे को अपीलांट की बिना उपस्थिति में हटाया गया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही राजनैतिक दबाव व प्रभाव में की गयी है जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय को ग्राम पंचायत सरपंच का प्रार्थना पत्र पेश हने पर ये चाहिए था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सुनवाई हेतु उचित समय एवं जवाबदेही हेतु नोटिस भिजवाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था जबकि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अगर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को कोई रास्ता की आवश्यकता है तो उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) में नया रास्ता मंजूर करने का प्रावधान दिये गये है। उसके आधार पर खातेदार को रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली कृषि भूमि की राशि डीएलसी रेट से दुगुनी या जितनी कृषि भूमि रास्ते के उपयोग में आये उसे उतनी कृषि भूमि उसके चिपती हुई कृषि भूमि दिलवायी जाकर रास्ता मंजूर किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्क

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय 12.05.2022 को निरस्त कर मु. नं. 38 के किला नंबर 01 के उतरी कॉर्नर व मु. नं. 25 के किला नंबर 21 की दक्षिण दिशा कॉर्नर पुलिया के पास खंभा पुनः लगवाये जाने का आदेश पारित किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट चक 4 जे. के. एम. का स्थायी निवासी है। अपीलांट पेशे से काश्तकार है। अपीलांट की कृषि भूमि चक 4 जे. के. एम. के खाता संख्या 4/4 के पत्थर नंबर 172/375 मु. पं. 38 के किला नंबर 1 ता. 12 में 3.0360 हैक्टेयर व अपीलांट के पुत्र हरजिन्द्र सिंह के नाम से खाता संख्या 47/46 मु. नं. 38 के किला नंबर 13 ता. 25 में 3.2890 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि स्थित है। मु. नं. 38 के उतरी दिशा में मु. नं. 25 स्थित है जिसके किला नंबर 1 ता. 21 तक सरकारी रास्ता चालू है। मु. नं. 25 के किला नंबर 21 और मु. नं. 38 के किला नंबर 01 के उतरी दिशा व मु. नं. 25 के किला नंबर के दक्षिण कॉर्नर में पक्की पुलिया बनी हुई है जो अपीलांट की कृषि भूमि के लिए बनी हुई है। ग्राम पचांयत सरपंच द्वार प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया गया कि मु. नं. 13 पत्थर संख्या 173/375 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता पर सरकार द्वारा एक पुलिया बनायी गयी है जिस पर अपीलांट ने एक खंभा गाढ़कर रास्ता को बंद कर दिया है जिससे चक 3 जे. के. एम. , 4 जे. के .एम. व 5 जे. के. एम. के काश्तकारों को परेशानी हो रही है, को खुलवाया जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता चालू करवाने का आदेश दिया गया जिस पर दिनांक 17.05.2022 को पटवारी हल्का द्वारा पुलिस पर गढ़े खंभे को अपीलांट की बिना उपस्थिति में हटाया गया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही राजनैतिक दबाव व प्रभाव में की गयी है जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय को ग्राम पंचायत सरपंच का प्रार्थना पत्र पेश हने पर ये चाहिए था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सुनवाई हेतु उचित समय एवं जवाबदेही हेतु नोटिस भिजवाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था जबकि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अगर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को कोई रास्ता की आवश्यकता है तो उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) में नया रास्ता मंजूर करने का प्रावधान दिये गये है। उसके आधार पर खातेदार को रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली कृषि भूमि की राशि डीएलसी रेट से दुगुनी या जितनी कृषि भूमि रास्ते के उपयोग में आये उसे उतनी कृषि भूमि उसके चिपती हुई कृषि भूमि दिलवायी जाकर रास्ता मंजूर किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय 12.05.2022 को निरस्त कर मु. नं. 38 के किला नंबर 01 के उतरी कॉर्नर व मु. नं. 25 के किला नंबर 21 की दक्षिण दिशा कॉर्नर पुलिया के पास खंभा पुनः लगवाये जाने का आदेश पारित किया जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि चक 6 जे. के. एम. में किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में चालू रास्ता है। चक 4 जे. के. एम. में मु. नं. 173/375 के किला नंबर 01 में एक पुलिया बनायी गयी है जो कि आगे सरकारी रकबे को जोड़ती है। इस प्रकार यह एक आवागमन का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रास्ता है। अपीलांट द्वारा यह स्वीकार किया है कि दिनांक 17.05.2022 को मु. नं. 38 के किला नंबर 01 व मु. नं. 25 में किला नंबर 21 के कॉर्नर में निशानदेही के बाद अपीलांट द्वारा खम्भा लगाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पचांयत के आवेदन दिनांक 12.05.2022 पर उसी दिन रास्ता खुलवाने के आदेश जारी कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 के प्रावधानों के तहत अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना था। अतः प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे तब तक उभय पक्ष प्रश्नगत आराजी में रास्ते को चालू रखेंगे। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 30/01/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर (राज.) सत्यमेव जयते

श्रीगंगानगर